न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 08/2024

1. बाबुलाल पुत्र स्व. चुनीलाल जाति नाई निवासी ग्राम पोटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज।

अपीलाण्ट

बनाम

1. आशाराम उप्त व्यस्क पुत्र स्व. जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज।
2. गोविन्द उम्र व्यस्क पुत्र स्व. जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज।
3. शंकरलाल उम्र व्यस्क पुत्र स्व. जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज।
4. हनूमान उम्र व्यस्क पुत्र स्व. जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज।
5. हिरालाल उम्र व्यस्क पुत्र स्व. जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज।
6. किरण उम्र व्यस्क पुत्री स्व. जगदीश पत्नी सत्वीर जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज। हाल निवासी ग्राम नृहसिंहपुरा त व जिला झुन्झुनू राज।
7. सुशीला उम्न व्यस्क पुत्री स्व. जगदीश पत्नी पालाराम जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज। हाल निवासी पुराना का बात्त तह व जिला झुन्झुनु राज।
8. प्यारेलाल उम्र व्यस्क पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज।
9. मनभरी उम्र व्यस्क पुत्र स्व. चुन्नीलाल पत्नी रामेश्वर जाति नाई निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झनू राज। हाल निवासी के के ढाणी पिलानी खुर्द जिला झुन्झुनू राज।
10. सन्तोष पुत्री स्व. चुन्नीलाल पत्नी सागरमल जाति नाई निवासी पाटोदा तह. मण्डावा जिला झुन्झुनु राज। हाल निवासी के के ढाणी पिलानी खुर्द जिला
11. ईन्दा पुत्री स्व. चुन्नीलाल पत्नी बजंरग जाति नाई निवासी पाटोदा तह. मण्डावा जिला झुन्झुनु राज। हाल निवासी ग्राम सेहला जिला चुरू राज।
12. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान श्रेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टाई तह. मण्डावा जिला झुन्झुनू राज।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा मण्डावा जिला झुन्झुनू राज।

– रेस्पोडेन्टस्

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

<u>अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दिलोई के नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 24.04.1975</u>

ऐडवोकेट अपीलान्ट :– श्री राजेश कुमार सुण्डा अपीलान्ट
श्री विजय सिंह लालपुरिया रेस्पोडेन्ट संख्या 9

आदेश

दिनांक 21.11.2024

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट स. 1 लगा 12 स्व. चुन्नी लाल के विधिक वारीस है जिनका सजरा निचे लिखे अनुसार है–

चुन्नी लाल (फौत)

जगदीश (फौत) मनभरी (10) सन्तोष (11) प्यारेलाल (9) इन्द्रा (12) बाबूलाल (अपीलाण्ट)
मनोहरी पत्नी (2)

आशाराम (1) किरण (7) गोविन्द (3) शंकरलाल (4) सुशीला (8) हनूमान (5) हीरालाल (6)

अपीलाण्ट के पिता स्व चुन्नी लाल तथा माता बनारसी देवी थी जिनकी मृत्यू हो चुकी है स्व. चुन्नी लाल की मृत्यू 06/05/1971 में हो चुकी है स्व चुन्नी लाल के अपीलाण्ट बाबूलाल रेस्पोडेन्ट स. 1 व 3 लगा 8 का पिता व रेस्पोडेन्ट स. 2 का पति जगदीश प्यारेलाल रेस्पोडेन्ट स. व मनभरी सन्तोष, इन्द्रा कमशः रेस्पोडेन्ट स. 10 लगा 12 विधिक वारीस है जिनमे से स्व जगदीश की मृत्यू हो चुकी है एव जगदीश के विधिकवारीस रेस्पोडेन्ट स. 1 लगा 8 है।स्व. चुन्नी लाल की दिनांक 06/05/1971 में मृत्यू हो जाने के बाद पटवारी हल्का द्वारा भूनि ख.न. 239/1 हाल ख.न. 864/1150,805 लगा 868 कुल किता 5 कुल रकमा 2.91 है० ने उनका फौतगी नामान्तरण रा. 212 दिनांक 24/04/1975 भरा गया तथा ग्राम पंचायत दिलोई द्वारा स्वीकृत्त किया गया। जिसमे रेस्पोडेन्ट स. 1 लगा के पति व पिता जगदीश व रेस्पोडेन्ट स. 9 को ही विधिक वारीस दर्ज कर नामान्तरण भर दिया गया अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट स. 10. लगा 12 का नाम नामान्तरण में दर्ज नहीं किया। उक्त नागान्तरण दिनांक 24/04/1975 को ग्राम पंचायत दिलोई, द्वारा स्वीकृत किया गया।नामान्तरण स. 212 दिनांक 24/04/1975 से अपीलाण्ट के हक व अधिकार प्रत्येक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित होते है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट माननीय न्यायालय के समक्ष अपील निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तूत कर रहा हैरू– योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत दिलोई द्वारा स्वीकृत नामान्तरण स० 212 दिनांकित 24/04/1975 विरुद्ध कानून व पत्रावली तथ्यो होने से निरस्त होने योग्य है।योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत नामान्तरण तस्दीक करते समय व पूर्व सुनवाई का कोई अवसर अपीलाण्ट को नही दिया गया ओर ना ही कोई इतला व सुचना अपीलाण्ट को दी गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई वारीसान की जांच भी नही की ओर ना ही मोका जांच की। उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया उस समय अपीलाण्ट मात्र 10 साल का नाबालिग बच्चा था इस कारण से उक्त नामान्तरण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पाटोदा मे स्थित भूमि ख.न. 239/1 हाल ख.न. 864/1150,865 लगा 868 कुल किता 5 कुल रकबा 2.91 है० अपीलाण्ट की पैतृक भूमि है जिसमे जन्म से ही स्व. चुन्नी लाल के विधिक वारीसान का हक हिस्सा है व जन्म से हक अधिकार अपीलाण्ट को प्राप्त है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट स. 1 लगा 8 के पूर्वज स्व. जगदीश व रेस्पोडेन्ट स. 9 के नाम से ही नमान्तरण तस्दीक कर दिया तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट स. 10 लगा. 12 के नाम से नामान्तरण तस्दीक नही कर कानूनी भूल की है इस कारण से नामान्तरण स. 212 दिनांकित 24/04/1975 निरस्त होने योग्य है।योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व प्रकरण के वास्तविक तथ्यो की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा ओर ना ही वारीस सम्बन्धी कोई जांच करवाई जबकि ग्राम पंचायत सरपंच को ग्राम के मूल निवासी की मृत्यू की स्थिति में उनके वारीसान की जानकारी स्वंयमेव ही होती है परन्तू अपीलाण्ट की नाबालिगियत का फायदा उठा कर रेस्पोडेन्ट स. 9 व स्व. जगदीश ने पटवारी से मिलकर अपने नाम से नामान्तरण गलत भरवाया तथा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थत ग्राम पंचायत ने गलत नामान्तरण तस्दीक कर दिया। नामान्तरण के कॉलम न. 14 मे विरासत शब्द लिखा है परन्तू कॉलम स० 16 मे कोई विषेश

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा

विवरण वारीसान बाबत नही किया गया है।योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण न्याय के सहज एव प्राकृतिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने के कारण अपील से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत दिलोई द्वारा स्वीकृतनामान्तरण स० 212 दिनांकित 24/04/1975 को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत को या रेस्पोडेन्ट स. 14 को इस निर्देश के साथ लौटाई जावे कि स्व. चुन्नी लाल के सभी वारीसान की जांच की जाकर संशोधित फौतगी नामान्तरण भरा जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट न0 01, 02,03, 04, 05, 07 08 बाद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 10, 11 ने अपील के अनुरूप इकबालिया टिप्पणी आदेशिका पर अंकित की। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 व 09 की ओर से अभिभाषक उपस्थित ।

विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दौरान बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय और बहस बाबत नामान्तकरण संख्या 212 ग्राम दिलोई दिनांक 24.04.1975 खिलाफ कानून व न्याय पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई वारीसान की जांच भी नही की और ना ही मौका जांच की। उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया उस समय अपीलाण्ट मात्र 10 साल का नाबालिग बच्चा था इस कारण से उक्त नामान्तरण निरस्त होने योग्य है।ग्राम पाटोदा मे स्थित भूमि ख.न. 239/1 हाल ख.न. 864/1150,865 लगा 868 कुल किता 5 कुल रकबा 2.91 है० अपीलाण्ट की पैतृक भूमि है जिसमे जन्म से ही स्व. चुन्नी लाल के विधिक वारीसान का हक हिस्सा है व जन्म से हक अधिकार अपीलाण्ट को प्राप्त है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट स. 1 लगा 8 के पूर्वज स्व. जगदीश व रेस्पोडेन्ट स. 9 के नाम से ही नमान्तरण तस्दीक कर दिया तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट स. 10 लगा. 12 के नाम से नामान्तरण तस्दीक नही कर कानूनी भूल की है इस कारण से नामान्तरण स. 212 दिनांकित 24/04/1975 निरस्त होने योग्य है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 24.04.1975 को निरस्त फरमाया जाकर विरासत के आधार पर भूमि का नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट वकीलगण अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। रेस्पोंडेन्ट के जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अतः मृतक चुन्नी लाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का समस्त विधिक वारिसन के नाम से नामान्तरण खोला जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत दिलोई के नामान्तकरण संख्या 212 ग्राम दिनांक 24.04.1975 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक चुन्नी लाल के विधिक वारिसन की जांच करते हुए उभय पक्षकारान को सूनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय दिनांक 21.11..2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा